

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

21-5-18

पत्रावली केन्व. माइ.....को पेश हुई।
आगामी दिनांक... 26.6.18... को पेश हो।
इस का अंतिम थपपत रहेगा। ६१

26.6.18

उभय पक्ष नृपाशित पीठारीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है। बदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 28.8.18 को पेश हो
इस का अंतिम थपपत रहेगा।
सिद्ध
उपखण्ड अधिकारी नण्डल

28-8-18

पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिकेन उपस्थित,
पत्रावली वास्ते प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक
11-9-18 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी
अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है। ७१

11-9-18

पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिकेन उपस्थित,
प्रतिवादी को कितनी बार जवाब हेतु मौखे दिये
जाने उपरान्त भी जवाब नहीं दिये जाने के कारण
जवाब देना बन्द किया जाता है। उग्रयपक्षी ने बहस
करनी चाही। बहस सुनी गई, प्रायोगिक अधिकारी
ने अपनी बहस में बताया कि प्रायोगिक अधिकारी
निषेधाज्ञा नहीं मिली तो अपूरणीय शक्ति होगी।
मैंने पत्रावली में उपलब्ध करता है जो एंप प्रायोगिक
अधिकारी की बहस पर मन्व किया जाकर प्रायोगिक
पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 P.T.A के तहत मूल काद
पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी
की जाती है।

पत्रावली फॉसल शुमार होकर मूल काद पत्र के साथ
सलम है। ७१

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलवाड़ा